

30-6-22 पागावली पेश हुई/ वकील महाराज अनुपासिए।  
 वादी वकील वं वादी एवं प्रतिवादी वकील व प्रतिवादीयो  
 को न्यायालय समक्ष तब धार-धार सावाज लावई  
 गई लेकिन कोई अपास्येत नहीं हुए। और ना-ही  
 परमाप्त अवसर दिये जाने पर शेष प्रतिवादीयो  
 तलबी हेतु तलवाना मोरिस पेश नहीं किये हैं।  
 तथा ना-ही कुछ प्रतिवादीयो का अभाव व न्यायालय  
 जाभा प्राप्त हुआ है।

अतः वादीको का मद अन्तर्गत धारा 53, 188 शर्तियों  
 परमाप्त अवसर दिये जाने पर भी शेष प्रतिवादीयो  
 की तलबी हेतु तलवाना मोरिस पेश नहीं करने के  
 अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के  
 तहत खारिज किया जाता है। पागावली के सलसुमार  
 दोषार नम्बर से नाम होकर दायित्व दफ्तर है।  
 निर्णय पुणे न्यायालय में सुनाया गया।

अपरवर्ष अधिकारी  
 [Signature]  
 [QR Code]